



कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाड़ीह, पो.आ.- सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013

दूरभाष : 0771 2969202

क्रमांक 561 / अका. / 26

रायपुर, दिनांक 19/06/2026

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की 67वीं बैठक दिनांक 04/06/2026 के विषय क्रमांक 05 में विश्वविद्यालय के 55वें अध्यादेश "MASTER OF ARTS M.A. (Hindi)" को अनुमोदित किया गया है। जिसे तत्काल प्रभावशील किया जाता है।

संलग्न:- अध्यादेश क्रमांक -55 की छायाप्रति।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

(सुनील कुमार शर्मा)
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 19/06/2026

पृ. क्रमांक 562 / अका. / 26
प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, लोक भवन सचिवालय, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सहायक, कुलपति की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला,
4. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय.....
5. उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/वित्ताधिकारी की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी समस्त विभाग,

..... कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव

ORDINANCE No - 55

MASTER OF ARTS M.A.(Hindi)

ReferSection[35]

1. This degree shall be known as Master of Arts in Hindi MA(Hindi)
2. The duration of this course shall extend over two full academic sessions and each of these academic sessions shall be sub-divided into two semesters each.
3. The minimum qualification for application to admission in MA(Hindi) course shall be as follows:
A candidate holding a graduate degree or post-graduate degree of the University or of any other University recognized to be equivalent thereto by the University *shall be eligible for admission to MA (Hindi) Course.
4. The admission to the MA(Hindi) course of study shall be made on merit to be decided on the basis of written entrance test and/or selection interview organized by the University.
Hindi/ Chhattisgarhi shall be the medium for the entrance test, instruction and examination for the course of study.
The admission so granted shall be further governed by the University rules applicable to all the students in the University and the decision of the Kolkata in case of any dispute shall be final.
5. The total intake capacity of the MA(Hindi)course shall be as per UGC norms and as decided by the University from time to time.
6. The students admitted to M.A.(Hindi) course shall not be permitted to appear at any other examination.
7. The MA(Hindi)course shall consist of-
 - a) Such courses/ papers as may be prescribed by the University.
 - b) Such on job training as may be prescribed by the University.
 - c) Such field visits as may be prescribed by the University.
8. There shall be a University Examination conducted by the University at the end of each semester on the basis of course contents and scheme of examination as may be prescribed by the University from time to time.

9. A student after having pursued a regular course of study shall be eligible to be admitted to the Semester Examination if he/she had attended at least 75 percent of the classes of the semester concerned.
10. A candidate in order to be declared pass at any of the Semester Examination shall be required to obtain at least 40 percent marks in each of the theory papers, CE & AA, Practical, and 45 percent* marks in the aggregate.
11. A candidate, declared pass at the first semester examination shall be eligible to be promoted to the second semester and shall be eligible to take up the second semester examination if he/she fulfills all other conditions to be eligible to appear at the examination.
- 1) If a candidate who fails in maximum two theory papers which includes practical exam also shall be allowed to keep the term and shall be eligible for promotion to the second semester, if he has cleared/passed all internal assessment exams.
 - 2) Such candidate as mentioned in subsection (1) under proviso shall be eligible to take examination in such subjects of the first semester, in which he has failed, simultaneously with the examination of second semester, subject to the other conditions for eligibility of examination being fulfilled.
 - 3) If the student aforesaid under subsection (2) fails to clear his theory papers of first semester along with the second semester exam then in such case he shall appear as an ex-student in the immediately following first semester examination again.
 - 4) If such a student as described under this proviso fails to clear his theory papers of first semester even in the second attempt as described under proviso(3) he shall be cease to be a student of MA(Hindi) course.
12. A candidate declared pass at the first and second semester examination shall be eligible to be promoted to the third semester examination and shall be eligible to take up the third semester examination, if he/she fulfills all other conditions to appear at the examination.
- 1) If a candidate who fails in maximum two theory papers which includes practical exam also shall be allowed to keep the term and shall be eligible for promotion to the third semester, if he has cleared/passed all internal assessment exams.
 - 2) Such candidate as mentioned in subsection (1) under proviso shall be eligible to take examination in such subjects of the second semester in which he has failed, simultaneously with the examination of third semester, subject to the other conditions for eligibility of examination being fulfilled.

- 3) If the student aforesaid under subsection (2) fails to clear his theory papers of second semester along with the third semester exam then in such case he shall appear as an ex-student in the immediately following second semester examination again. Subject to the condition that he has cleared the first semester.
 - 4) If such a student as described under this proviso fails to clear his theory papers of second semester even in the second attempt as described under proviso (3) he shall be cease to be a student of MA(Hindi) course.
13. A candidate declared pass at the Ist, IInd, IIIrd semester examination shall only be eligible to be attempt to the fourth semester.
- 1) If a candidate who fails in maximum two theory papers which includes practical exam also shall be allowed to keep the term and shall be eligible for promotion to the fourth semester, if he has cleared/passed all internal assessment exams.
 - 2) Such candidate as mentioned in subsection (1) under proviso shall be eligible to take examination in such subjects of the third semester in which he has failed, simultaneously with the examination of fourth semester, subject to the other conditions for eligibility of examination being fulfilled.
 - 3) If the student aforesaid under subsection (2) fails to clear his theory papers of third semester along with the fourth semester exam then in such case he shall appear as an ex-student in the immediately following third semester examination again. Subject to the condition that he has cleared the second semester.
 - 4) If such a student as described under this proviso fails to clear his theory papers of third semester even in the second attempt as described under proviso (3) he shall be cease to be a student of MA(Hindi) course.
14. A candidate who after passing in the internal assessment of all the papers and Project Report is eligible to be admitted to the semester examination fails to appear at the examination due to illness or any other unavoidable reasons, he/she will be permitted to appear at the next two subsequent examinations of the semester concerned as an ex-student of the semester only and in case he/she fails to pass the examination, he/she shall cease to be a student of MA(Hindi) course of study of the University.
15. A candidate not permitted to take up the first semester examination due to shortage of attendance shall be required to apply for admission afresh in the next academic session and shall also be required to appear at the admission test.

16. There shall be no second full or supplementary examination for any semester examination.
17. There shall not be any revaluation in case of internal assessment, Project Report and Practical.
18. No person shall be admitted to MA(Hindi) course if he/she has already passed the MA(Hindi) examination of the University or any equivalent examination of any other University or statutory body.
19. Each student shall be required to pay such fees of the course as may be prescribed by the University from time to time.
20. In matters of admission, attendance, examination, Deficiency Condonation (DC) of grace marks or VC grace and in all other matters not provided for in this Ordinance the MA(Hindi) degree course shall be governed by the general provisions of the relevant Ordinance save in so far as they are not inconsistent with the Provisions of this Ordinance. (com)

ORDINANCE No 55

MASTER OF ARTS MA(Hindi)

ReferSection[35]

1. इस डिग्री को मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी (एमए) के नाम से जाना जाएगा।
2. इस पाठ्यक्रम की अवधि दो पूर्ण शैक्षणिक सत्रों की होगी और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र को दो सेमेस्टर में विभाजित किया जाएगा।
3. एमए (हिंदी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता इस प्रकार होगी:
विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री धारक उम्मीदवार एमए (हिंदी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
4. एमए (हिंदी) पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा और/या चयन साक्षात्कार के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुसार होगा।
प्रवेश परीक्षा, शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/छत्तीसगढ़ी होगा।
इस प्रकार दिया गया प्रवेश विश्वविद्यालय के उन नियमों द्वारा शासित होगा जो विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर लागू होते हैं और किसी भी विवाद की स्थिति में कोलकाता विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
5. एम.ए. (हिंदी) पाठ्यक्रम की कुल प्रवेश क्षमता यूजीसी के मानदंडों के अनुसार और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
6. एम.ए. (हिंदी) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को किसी अन्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. एम.ए. (हिंदी) पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:
क) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/विषय।
ख) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्य-आधारित प्रशिक्षण।

ग) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्र भ्रमण।

8. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री और परीक्षा योजना के आधार पर होगी।

9. नियमित पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, कोई छात्र सेमेस्टर परीक्षा में प्रवेश के लिए तभी पात्र होगा जब उसने संबंधित सेमेस्टर की कम से कम 75 प्रतिशत कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज कराई हो।

10. किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए, किसी उम्मीदवार को सैद्धांतिक परीक्षा, सीई एवं एए, व्यावहारिक परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 45 प्रतिशत* अंक प्राप्त करने होंगे।

11. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवार द्वितीय सेमेस्टर में पदोन्नत होने के लिए पात्र होगा और द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए तभी पात्र होगा जब वह परीक्षा में बैठने की अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो।

1) यदि कोई उम्मीदवार अधिकतम दो सैद्धांतिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाता है, जिसमें व्यावहारिक परीक्षा भी शामिल है, तो उसे सेमेस्टर में रहने की अनुमति दी जाएगी और वह द्वितीय सेमेस्टर में पदोन्नत होने के लिए पात्र होगा, यदि उसने सभी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों।

2) उपधारा (1) में उल्लिखित परंतुक के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार प्रथम सेमेस्टर के उन विषयों की परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही देने के पात्र होंगे, जिनमें वे अनुत्तीर्ण हुए हैं, बशर्ते परीक्षा में बैठने की पात्रता की अन्य शर्तें पूरी हों।

3) यदि उपधारा (2) के अंतर्गत उल्लिखित छात्र प्रथम सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के साथ द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उसे अगले प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पूर्व छात्र के रूप में पुनः उपस्थित होना होगा।

4) यदि इस परंतुक के अंतर्गत वर्णित छात्र परंतुक (3) के अंतर्गत वर्णित दूसरे प्रयास में भी प्रथम सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो वह एमए (हिंदी) पाठ्यक्रम का छात्र नहीं रहेगा।

12. प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवार तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पात्र होंगे और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देने के पात्र होंगे, यदि वे परीक्षा में बैठने की अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं।

1) यदि कोई उम्मीदवार अधिकतम दो सैद्धांतिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, जिनमें व्यावहारिक परीक्षा भी शामिल है, तो उसे सेमेस्टर में बने रहने की अनुमति दी जाएगी और वह तीसरे सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसने सभी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों।

2) उपधारा (1) में परंतुक के अंतर्गत उल्लिखित ऐसा उम्मीदवार दूसरे सेमेस्टर के उन विषयों की परीक्षा में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के साथ-साथ बैठने के लिए पात्र होगा, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ है, बशर्ते परीक्षा की पात्रता के लिए अन्य शर्तें पूरी हों।

3) यदि उपधारा (2) के अंतर्गत उल्लिखित विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के साथ-साथ तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसे आगामी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः उपस्थित होना होगा, बशर्ते कि उसने प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण किया हो।

4) यदि इस परंतुक के अंतर्गत वर्णित विद्यार्थी परंतुक (3) के अंतर्गत वर्णित दूसरे प्रयास में भी द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो वह एमए (हिंदी) पाठ्यक्रम का विद्यार्थी नहीं रहेगा।

13. प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवार ही चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश के पात्र होंगे।

1) यदि कोई उम्मीदवार अधिकतम दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण होता है, जिसमें व्यावहारिक परीक्षा भी शामिल है, तो उसे सेमेस्टर में रहने की अनुमति दी जाएगी और यदि उसने सभी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, तो वह चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

2) उपधारा (1) में उल्लिखित परंतुक के अंतर्गत ऐसा उम्मीदवार तृतीय सेमेस्टर के उन विषयों की परीक्षा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही देने के लिए पात्र होगा जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ है, बशर्ते परीक्षा की पात्रता संबंधी अन्य शर्तें पूरी हों।

- 3) यदि उपधारा (2) के अंतर्गत उल्लिखित विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के साथ चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे अगले तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः उपस्थित होना होगा, बशर्ते उसने द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण किया हो।
- 4) यदि इस परंतुक के अंतर्गत वर्णित विद्यार्थी परंतुक (3) में वर्णित दूसरे प्रयास में भी तृतीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह एमए (हिंदी) पाठ्यक्रम का विद्यार्थी नहीं रहेगा।
14. जो उम्मीदवार सभी प्रश्नपत्रों और परियोजना रिपोर्ट के आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के बाद सेमेस्टर परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र है, यदि वह बीमारी या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे संबंधित सेमेस्टर की अगली दो परीक्षाओं में केवल सेमेस्टर के पूर्व छात्र के रूप में बैठने की अनुमति दी जाएगी और यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो वह विश्वविद्यालय के एमए (हिंदी) पाठ्यक्रम का छात्र नहीं रहेगा।
15. उपस्थिति की कमी के कारण प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने वाले उम्मीदवार को अगले 16. किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए कोई दूसरी पूर्ण या पूरक परीक्षा नहीं होगी।
17. आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना रिपोर्ट और प्रैक्टिकल के मामले में कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।
18. किसी भी व्यक्ति को एमए (हिंदी) पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा यदि वह पहले ही विश्वविद्यालय की एमए (हिंदी) परीक्षा या किसी अन्य विश्वविद्यालय या वैधानिक निकाय की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो।
19. प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करना होगा।
20. प्रवेश, उपस्थिति, परीक्षा, छूट अंकों की माफी (डीसी) या वीसी छूट और इस अध्यादेश में प्रावधानित न किए गए अन्य सभी मामलों में, एमए (हिंदी) डिग्री पाठ्यक्रम संबंधित अध्यादेश के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होगा, सिवाय इसके कि वे इस अध्यादेश के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। शैक्षणिक सत्र में नए सिरे से प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा और प्रवेश परीक्षा में भी उपस्थित होना होगा।